

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4558-पीबीआर/13 विरुद्ध आदेश दिनांक 7-10-2013
पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक
228/निगरानी/2010-11.

- 1-लोकेन्द्र पिता श्री शांतिलाल बघेल
निवासी सरदार पटेल मार्ग, झाबुआ म0प्र0
- 2-हेमेन्द्र कुमार पिता श्री शांतिलाल बघेल
निवासी म.नं. 32 चन्द्रशेखर आजाद मार्ग, झाबुआ
- 3-भूपेन्द्र कुमार पिता श्री कान्तीलाल बावेल
निवासी पावर हाउस रोड झाबुआ
- 4-सुनीता पति श्री भूपेन्द्र कुमार बावेल
निवासी पावर हाउस रोड झाबुआ
- 5-मनोहरलाल पिता श्री सरदारमलजी बावेल
निवासी चेतन्य मार्ग झाबुआ

.....आवेदकगण

विरुद्ध

- 1-मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला झाबुआ
- 2-तहसीलदार तहसील झाबुआ जिला झाबुआ म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....
श्री एच.एन.फड़के, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री हेमन्त मूँगी, अभिभाषक, अनावेदकगण
.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/11/13 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-10-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर जिला झाबुआ के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि शहर झाबुआ नजूल

cc

62

सीट क्रमांक 09 के भूखण्ड क्रमांक 14 का रकबा 1592 वर्गमीटर नजूल अभिलेख में ठाकुर गजेन्द्रपालसिंह पिता दिलीपसिंह झाबुआ के नाम दर्ज है । उक्त भूखण्ड मनोहरलाल पिता सरदारमल को रुपये 35,000/- में गजेन्द्रपालसिंह द्वारा विक्रय की गई है । भूखण्ड क्रमांक 14 के क्षेत्रफल 1592 वर्गमीटर के अतिरिक्त आवेदकगण द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रफल पर अवैध कब्जा किया गया है :-

- (1) विजय पिता रणछोड द्वारा शासकीय भूखण्ड क्रमांक 12 (नजूल रिकार्ड अनुसार) 136.57 वर्गमीटर पर
- (2) वगेश पिता शांतिलाल द्वारा भूखण्ड क्रमांक 4 क्षेत्रफल 68.27 वर्गमीटर पर
- (3) श्रीमती पिकीबाला पति प्रवीणकुमार राठौर के भूखण्ड क्र.12 क्षेत्रफल 130.06 वर्गमीटर पर
- (4) श्रीमती रंजना पति देवेन्द्र कुमार राठौर द्वारा 129.21 वर्गमीटर पर
- (5) मनोहर लाल पिता सरदारमल द्वारा 20.47 वर्गमीटर पर
- (6) भूखण्ड क्रमांक 4 क्षेत्रफल 20.47 वर्गमीटर पर भूपेन्द्र, प्रकाश, विजय एवं संजना द्वारा शासकीय भूखण्ड की भूमि 582/10 वर्गमीटर पर अवैधानिक कब्जा किया गया है ।

उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 10-5-2011 को प्रकरण तहसीलदार को भेजकर आवेदकगण द्वारा शासकीय नजूल भूमि पर किये गये अनाधिकृत कब्जे से बेदखल करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये । कलेक्टर के आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा दिनांक 24-6-2011 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदकगण का अतिक्रमण हटाने हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी झाबुआ नगर पालिका अधिकारी, झाबुआ, राजस्व निरीक्षक, झाबुआ, पटवारी हल्का नम्बर 19, झाबुआ को दिनांक 19-8-2011 को प्रातः 11:00 बजे अतिक्रमण हटाने हेतु उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये । कलेक्टर जिला झाबुआ के आदेश दिनांक 10-5-2011 एवं तहसीलदार के पत्र दिनांक 24-6-2011 के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जो अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-10-2013 से निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-10-2013 से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।




3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-


(1) प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन हेतु गठित दल द्वारा आवेदकगण को सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी गई है और आवेदकगण के पीठ-पीछे सीमांकन कार्यवाही की गई है अतः ऐसे अवैध सीमांकन के आधार पर आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है ।

(2) तहसीलदार द्वारा कलेक्टर के निर्देशों के पालन में बिना संहिता की धारा 248 का प्रकरण दर्ज किये मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दिनांक 29-8-2011 को मय ट्रेक्टर, ट्रॉली, मजदूर व रिकार्ड सहित अतिक्रमण हटाने हेतु प्रातः 11:00 बजे मौके पर उपस्थित होने के निर्देश दिये गये है, जो कि संहिता की धारा 248 के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही है, वहीं कलेक्टर द्वारा निर्देशों के पालन में की गई कार्यवाही भी नहीं है ।

(3) जिस सीमांकन के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदकगण को बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है वह अवैध एवं नियमों के विपरीत है ।

(4) प्रश्नाधीन भूखण्ड क्रमांक 14 ठाकुर गजेन्द्रपाल सिंह पिता नारायण सिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित रहा है । उक्त भूखण्ड का विक्रय ठाकुर गजेन्द्रपाल सिंह द्वारा मनोहरलाल पिता सरदारमल को किया गया है और मनोहरलाल से पृथक पृथक विक्रय पत्र के माध्यम से आवेदकगण द्वारा कय की गई है, जिस पर बाउण्डीवाल बनी होकर कुछ हिस्से पर निर्माण कार्य किया गया है । उक्त विक्रय पत्र के आधार पर आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी होकर उसका उपयोग कर रहे हैं, अतः प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के निजी स्वामित्व की भूमि होने से संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

(5) प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण के मकान विधिवत् नगर पालिका से नक्शा अनुमोदित होने के उपरांत बनाये गये हैं और व्यवहार वाद क्रमांक 13-ए/2011 में दिनांक 13-12-2011 को पारित अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश से भी स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के आवेदकगण भूमिस्वामी है । अतः व्यवहार न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में भी




तहसीलदार द्वारा की गई बेदखली की कार्यवाही अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(6) कलेक्टर एवं तहसीलदार द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही में आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है ।

(7) प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय मानकर यदि बेदखली की कार्यवाही की जा रही है तब संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत विधिवत् प्रकरण दर्ज कर आवेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है । उक्त कार्यवाही नहीं करने से अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्क के समर्थन में 1980 आर.एन. 460 (माननीय उच्च न्यायालय) का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदकगण शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियाँ शासकीय भूमि हैं और आवेदकगण द्वारा उक्त भूमियों पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर के निर्देश के पालन में तहसीलदार द्वारा विधिवत् बेदखली की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें हस्तक्षेप का आधार इस निगरानी में नहीं है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर की जानकारी में यह तथ्य आने पर कि प्रश्नाधीन नजूल भूमियों पर आवेदकगण द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है, तहसीलदार को स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । कलेक्टर के आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा झाबुआ, सह-भू-मापन अधिकारी(नजूल), नजूल निरीक्षक एवं पटवारी के साथ स्थल निरीक्षण किया गया और स्थल निरीक्षण में भी प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाते हुये प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया । तत्पश्चात् कलेक्टर द्वारा पुनः अनुविभागीय अधिकारी को स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन भेजने हेतु निर्देशित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन से भी आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर अवैध अतिक्रमण किये जाने की पुष्टि होने पर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार को आवेदकगण द्वारा शासकीय भूमि पर






किये गये अनाधिकृत कब्जे को हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । तहसीलदार को प्रकरण प्राप्त होने पर उनके द्वारा विधिवत् अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु दल का गठन करने के निर्देश दिये गये और प्रकरण में दिनांक 29-6-2011 की तिथि नियत की गई । दिनांक 29-6-2011 को तहसीलदार द्वारा बेदखली की कार्यवाही में आवेदकगण को सुने जाने की आवश्यकता पाते हुये प्रकरण संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत मद अ-68 में दर्ज करने के निर्देश दिये गये, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया यह आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि तहसीलदार द्वारा बिना संहिता की धारा 248 के प्रावधानों का पालन किये सीधे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने में अनियमितता की गई है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है । जहाँ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा भी स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि आवेदकगण द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा कलेक्टर के आदेश के पालन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश देने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, आवेदकगण की निगरानी निरस्त की गई है, जो कि अपने स्थान पर विधिसंगत कार्यवाही है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-10-2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश प्रकरण क्रमांक निगरानी 4523-दो/2013 पर भी लागू होगा, अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।




(मनाज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर